**(बी.एस. ढिल्लन, जे)**

---

ऐसी सरकार जिसका प्रयोग सामान्य तरीके से या किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए किया जा सकता हो । यह भी देखा गया है कि नियम निर्माताओं का इरादा सरकार को एक असाधारण मामले में न्याय करने के लिए कुछ शक्ति देना था, जब किसी विशेष नियम की प्रयोज्यता से किसी विशेष व्यक्ति के साथ कुछ गंभीर अन्याय हो रहा था। उपर्युक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त नियम के तहत छूट की शक्ति का उपयोग किसी भी विशेष मामले में कठिनाई को कम करने के लिए किया जा सकता है और आम तौर पर नहीं। राज्य के वकील ने उस आदेश का हवाला दिया है जिसके द्वारा विभागीय राजस्व परीक्षाओं के संबंध में छूट दी गई थी। वहां कहा जाता है कि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता को देखते हुए विभागीय राजस्व परीक्षाओं की शर्त में ढील दी जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश सामान्य शब्दों में पारित किया गया है और उक्त खंड के अनुसार नहीं है- इसलिए, प्रतिवादी संख्या 10 से 12 को विभागीय परीक्षाओं के संबंध में छूट देने वाले आदेश का हिस्सा अच्छा नहीं है।

(13) उपर्युक्त कारणों से, मैं दोनों रिट याचिकाओं को जुर्माने के साथ स्वीकार करता हूं, आक्षेपित आदेशों को रद्द करता हूं जहां तक ये प्रतिवादियों से संबंधित हैं और राज्य सरकार को निर्देश देता हूं कि वह ऊपर की गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद मामले पर नए सिरे से निर्णय ले। प्रत्येक मामले में वकील शुल्क 200 रुपये है।

---

एच. एस. बी

**समक्ष बी. एस. ढिल्लों!और, एम. आर. शर्मा, जे. जे.**

**खोसला फैन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (इन इक्विडेशन),** ------*याचिकाकर्ता।*

*बनाम*

**रमेश खोसला और अन्य**,-------उत्तरदाता।

सी. पी. नं.220 1976 का।

26 नवंबर, 1980

कंपनी अधिनियम (1956 का 1)-धारा 2 (11), 10, 446, 454 (5ए) और 538-कंपनीया (न्यायालय) नियम 1959-नियम 9-कंपनी को समाप्त करने का आदेश- कंपनी के अधिकारी

**परिसमापक को कंपनी की संपत्तियों और अभिलेखों को वितरित करने में विफल रहे -परिसमापक धारा 446 (2) के साथ पठित धारा 538 और 478 के तहत अपराधों के लिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करना-उच्च न्यायालय-क्या शिकायत का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र है-शब्द धारा 446 (2) में "कोई कार्यवाही"-**

**माना गया कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2(11), 10, 446 और 454 (5ए) के प्रावधानों की व्याख्या अधिनियम की योजना और मुख्य उद्देश्य जिसके लिए अधिनियम बनाया गया था, को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि किसी कंपनी से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में, अधिनियम के खिलाफ किसी भी अपराध के अलावा, अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 10 के तहत उच्च न्यायालय में निहित किया गया है, जबकि अधिनियम के खिलाफ किसी भी अपराध के संबंध में क्षेत्राधिकार दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी में निहित किया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि धारा 446 एक विशेष प्रावधान है जिसने उच्च न्यायालय को किसी भी मुकदमे पर विचार करने या कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है। । कंपनी की ओर से आधिकारिक परिसमापक द्वारा मुकदमा चलाने की मांग निश्चित रूप से पदाधिकारियों के कृत्यों के खिलाफ कंपनी द्वारा की गई कार्यवाही है। किसी कंपनी से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय में निहित है। कंपनी अधिनियम की योजना यह सुझाती है कि अधिनियम की धारा 446 की उप-धारा (2) के प्रावधानों को उच्च न्यायालय को कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने और निपटाने के लिए व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। समापन आदेश पारित कर दिया गया है। इसलिए यह प्रावधान उच्च न्यायालय को यदि वह चाहे तो आपराधिक कार्यवाही की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र प्रदान करेगा। उक्त कार्यवाही को स्थानांतरित करना या शुरू करने की अनुमति देना उच्च न्यायालय का विवेक है, लेकिन यह कहना कि उच्च न्यायालय के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, अधिनियम की धारा 446 के प्रावधानों के खिलाफ होगा जो उच्च में अधिकार क्षेत्र निहित करने वाला एक विशेष प्रावधान है। कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी मुकदमे या कार्यवाही के संबंध में न्यायालय। अधिनियम की धारा 454 की उपधारा (1) से (4) तक के प्रावधान प्रक्रियात्मक हैं, जिनका अनुपालन न करना उपधारा (5) के तहत अपराध है और उपधारा (5ए) विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। उच्च न्यायालय को विशेष क्षेत्राधिकार दें। धारा 446 (2) के प्रावधान सामान्य प्रकृति के हैं और कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी मुकदमे पर विचार करने या निपटाने या कार्यवाही करने के क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। अधिनियम की धारा 454, (5ए) के प्रावधान विशेष प्रकृति के हैं, अधिनियम की धारा 446 की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निहित है, जो सामान्य प्रकृति की हैं।**

**(पैरा 4 और 5).**

**आधिकारिक परिसमापक, आर. सी. अब्रोल एंड कंपनी (पी.) लिमिटेड बनाम आर. सी. अब्रोल और अन्य (1977) 47 कॉम्प. मामले 537 से असहमत।**

**शिकायत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 538, 478 के तहत, धारा 446 के साथ पठित और कंपनी (न्यायालय) के नियम 5 के साथ पठित नियम 1959 प्रार्थना करता है कि उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार उचित रूप से दंडित किया जा सकता है।**

खोसला फैन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) बनाम रमेश खोसला और अन्य (बी.एस. ढिल्लन, जे)

याचिकाकर्ता के वकील जे.एस. नारंग।

प्रतिवादी के लिए भागीरथ दास, वकील एस. के. हीराजी, वकील,

## प्रलय

**भोपिंदर सिंह ढिल्लों, जे.**

1. इस न्यायालय द्वारा खोसला फैन्स इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया गया था। इस न्यायालय से जुड़े आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी अधिनियम, 1956 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 446 के साथ पठित धारा 538, 478 और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के साथ पठित धारा 538, 478 के तहत प्रतिवादियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित), अन्य बातों के साथ-साथ, यह आरोप लगाया गया कि परिसमाप्त कंपनी के अधिकारी होने के नाते उत्तरदाता कंपनी की सभी चल और अचल संपत्ति, जो उनकी हिरासत और नियंत्रण में थी, परिसमापक को उसकी इच्छा के अनुसार देने में विफल रहे। , जिसे कंपनी को बंद करने का आदेश दिए जाने के बाद कानूनन उन्हें वितरित करने का आदेश दिया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि उत्तरदाताओं ने जानबूझकर कंपनी के रिकॉर्ड और किताबें नहीं सौंपी हैं और इस प्रकार अधिनियम की धारा 538 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उत्तरदाताओं की ओर से आपत्ति जताई गई है कि इस न्यायालय के पास शिकायत की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और वास्तव में शिकायत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष दायर की जानी चाहिए थी। अकेले बैठे मेरे सामने यह मामला आया और मैंने संदर्भ आदेश में दर्ज कारणों के आधार पर इसे बड़ी पीठ के पास भेज दिया। इस प्रकार यह प्रश्न हमारे सामने रखा गया है कि क्या इस न्यायालय के पास उत्तरदाताओं के खिलाफ आधिकारिक परिसमापक द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है।

2. पक्षों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए संबंधित तर्कों की सराहना करने की दृष्टि से, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को अधिनियम की धारा 2(11) में निम्नानुसार संदर्भित किया जा सकता है: -

"2(11) "न्यायालय" का अर्थ है,-

(ए) किसी कंपनी से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में (इस अधिनियम के खिलाफ किसी भी अपराध के अलावा), न्यायालय उस कंपनी से संबंधित मामले के संबंध में इस अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार रखता है, जैसा कि धारा 10 में प्रदान किया गया है;



(बी) इस अधिनियम के खिलाफ किसी भी अपराध के संबंध में, प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी या, जैसा भी मामला हो, एक अध्यक्षता दण्डाधिकारी का न्यायालय, जिसके पास ऐसे अपराध की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है;"

अधिनियम की धारा 10 इस प्रकार है:-

"10 (1) न्यायालयों का क्षेत्राधिकार।

इस अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय होगा-

(ए) उच्च न्यायालय के पास उस स्थान के संबंध में क्षेत्राधिकार है जहां संबंधित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, सिवाय इसके कि किस सीमा तक क्षेत्राधिकार उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी जिला न्यायालय या जिला न्यायालयों को प्रदान किया गया है उपधारा (2), और

(बी) जहां क्षेत्राधिकार इस प्रकार प्रदान किया गया है, वहां जिले में पंजीकृत कार्यालय रखने वाली कंपनियों के संबंध में प्रदत्त जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आने वाले मामलों के संबंध में ।

(2) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसे प्रतिबंधों, सीमाओं और शर्तों के अधीन, जो वह उचित समझती है, किसी भी जिला न्यायालय को इस अधिनियम द्वारा

प्रदत्त सभी या किसी भी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त बना सकती है के प्रदत्त क्षेत्राधिकार नहीं होना-

(ए) आम तौर पर कंपनियों के संबंध में, धारा 237, 391, 394, 395 और 297 से 407 तक, दोनों सम्मिलित हैं;

(बी) कम से कम एक लाख रुपये की चुकता शेयर पूंजी वाली कंपनियों के संबंध में, भाग VII (धारा 425 से 560) और कंपनियों के समापन से संबंधित इस अधिनियम के अन्य प्रावधान।

275

खोसला फैन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) बनाम रमेश खोसला और अन्य

(बी.एस. ढिल्लन, जे)

(3) कंपनियों को बंद करने के क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "पंजीकृत कार्यालय" का अर्थ वह स्थान है जो समापन के लिए याचिका की प्रस्तुति से ठीक पहले छह महीने के दौरान सबसे लंबे समय तक कंपनी का पंजीकृत कार्यालय रहा है।

अधिनियम की धारा 446 इस प्रकार है:-

"वाद समापन आदेश पर रुके हुए हैं।

446 (1) जब समापन आदेश दिया गया है या आधिकारिक परिसमापक को अनंतिम परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी, या यदि समापन आदेश की तारीख पर लंबित है। न्यायालय की अनुमति के अलावा और न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(2) जो न्यायालय कंपनी को बंद कर रहा है, उसके पास उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, मनोरंजन करने या निपटान करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

(ए) कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ कोई मुकदमा या कार्यवाही;

(बी) कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किया गया कोई भी दावा (भारत में उसकी किसी भी शाखा द्वारा या उसके खिलाफ दावों सहित);

(सी) कंपनी द्वारा या उसके संबंध में धारा 391 के तहत किया गया कोई भी आवेदन;

(डी) प्राथमिकताओं का कोई प्रश्न या कोई अन्य प्रश्न, चाहे वह कानून का हो या तथ्य का, जो कंपनी के समापन के दौरान संबंधित हो सकता है या उत्पन्न हो सकता है;

क्या ऐसा मुकदमा या कार्यवाही शुरू हो चुकी है या शुरू की गई है या ऐसा दावा या प्रश्न उत्पन्न हो चुका है या उत्पन्न हुआ है या ऐसा आवेदन कंपनी के समापन के आदेश से पहले या बाद में किया गया है या उससे पहले किया गया है या  कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1950 के प्रारंभ होने के बाद किया गया है ।



(3) कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा या कार्यवाही, जो उस न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में लंबित है, जिसमें कंपनी के समापन की कार्यवाही चल रही है, उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, स्थानांतरित किया जा सकता है। उस न्यायालय को और उसका निपटारा,

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) में कुछ भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में लंबित किसी भी कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

धारा 454(1) का प्रासंगिक भाग यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है -

"454 (1) * * * * *

(5ए) वह न्यायालय जिसके द्वारा परिसमापन आदेश दिया जाता है या अनंतिम परिसमापक नियुक्त किया जाता है, उप-धारा (5) के तहत ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर और उसके अनुसार अपराध का प्रयास करने पर अपराध का संज्ञान ले सकता है। मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों की सुनवाई के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में निर्धारित प्रक्रिया के साथ।"

3. अधिनियम की धारा 162, 165, 210, 293ए, 299, 300 से 304 के प्रावधानों का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उक्त धाराओं में उल्लिखित उल्लंघन के लिए कंपनी और उसके

पदाधिकारियों पर मुकदमा चलाने के प्रावधान किए गए हैं। यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त धाराओं के उल्लंघन के लिए कंपनी या उसके पदाधिकारियों पर मुकदमा चलाने की शिकायत कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा दायर की जानी है। धारा 538, 539, 540, 541, 542, 543 और 545 में दिए गए कुछ अन्य अपराध भी हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये अपराध लंबित रहने के दौरान या उच्च न्यायालय और अभियोजन पक्ष के समक्ष समापन कार्यवाही को अंतिम रूप दिए जाने के बाद किए गए हैं। उक्त अपराधों का कमीशन उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक के कहने पर होना चाहिए

4. आधिकारिक परिसमापक के विद्वान वकील श्री नारंग द्वारा जोरदार ढंग से यह तर्क दिया गया है कि अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 446 (2) के प्रावधानों के तहत न्यायालय कंपनी द्वारा या





उसके खिलाफ किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने या निपटाने के क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए पर्याप्त व्यापक है। यह तर्क दिया गया है कि "कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा या कार्यवाही" शब्द इतने व्यापक हैं कि इसमें आधिकारिक परिसमापक के कहने पर शिकायत के माध्यम से शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही भी शामिल हो सकती है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री भागीरथ दास द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 446 (2) के प्रावधान, इस न्यायालय को शिकायतों पर विचार करने या निपटाने के लिए कोई विशेष क्षेत्राधिकार नहीं देते हैं। अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के उल्लंघन के लिए दायर किया गया। यह देखा जा सकता है कि संबंधित प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए, हमें अधिनियम की धारा 2(11), 10, 446 और 454 (5ए) सहित अधिनियम के सभी प्रासंगिक प्रावधानों को समझना होगा। उक्त प्रावधानों की व्याख्या अधिनियम की योजना और मुख्य उद्देश्य जिसके लिए अधिनियम बनाया गया था, को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी कंपनी से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में, अधिनियम के खिलाफ किसी भी अपराध के अलावा, अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 10 के तहत इस न्यायालय में निहित किया गया है, जबकि इसके खिलाफ किसी भी अपराध के संबंध में क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में निहित है। अधिनियम को दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी में निहित किया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि धारा 446 का प्रावधान एक विशेष प्रावधान है, जिसने उच्च न्यायालय को कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने या निपटाने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया

है। कंपनी की ओर से आधिकारिक परिसमापक द्वारा मुकदमा चलाने की मांग निश्चित रूप से पदाधिकारियों के कृत्यों के खिलाफ कंपनी द्वारा की गई कार्यवाही है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री भागीरथ दास ने जोरदार ढंग से यह तर्क दिया है कि "किसी भी कार्यवाही" में आपराधिक कार्यवाही शामिल नहीं होगी और इसके लिए वह श्रीमती में लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर निर्भर हैं। शुकान्तला बनाम पीपुल्स बैंक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लिमिटेड का परिसमापन भगवती शंकर, आधिकारिक परिसमापक और अन्य (1) के माध्यम से किया जा रहा है। हमारी राय में, यह निर्णय वर्तमान प्रश्न को निर्धारित करने में बहुत मददगार नहीं है। उस मामले में, पूर्ण पीठ ने माना कि 19 (1) अधिनियम की धारा 171 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कानूनी कार्यवाही" जिसका प्रावधान अधिनियम की धारा 446 के प्रावधानों के अनुरूप है, का अर्थ है प्रथम दृष्टया न्यायालय में कार्यवाही करना, अनुरूप एक वादपत्र के समान याचिका के माध्यम से शुरू किया गया मुकदमा। यह माना गया कि उक्त कार्यवाही में मुकदमे के दौरान की गई कार्यवाही शामिल नहीं है, न ही मुकदमे से उत्पन्न और जारी रही कार्यवाही शामिल है और उच्च न्यायालय में जारी रही जैसे किसी अंतर्वर्ती या मुकदमे में अंतिम

ए.आई.आर. 1941 लाहौर 392.



आदेश पारित किया गया। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि जब तक इस प्रश्न की जांच नहीं की गई कि क्या 'किसी कार्यवाही में आपराधिक कार्यवाही भी शामिल होगी।' गवर्नर-जनरल इन काउंसिल बनाम स्ट्रेमेंट शुगर मिल्स लिमिटेड (2) में संघीय न्यायालय, श्रीमती में लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की टिप्पणियों से असहमत था। शुकंतला के मामले (सुप्रा) में पाया गया कि पुराने अधिनियम की धारा 171 के तहत अभिव्यक्ति "अन्य कानूनी कार्यवाही" की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, इसे किसी मुकदमे के अनुरूप प्रथम दृष्टया न्यायालय में शुरू की गई मूल कार्यवाही तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। एक याचिका के समान एक मुकदमे ।

5. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री भागीरथ दास ने एस. वी. कोंडास्कर, कालाबा लैंड एंड मिल्स कंपनी लिमिटेड (परिसमापन में) के आधिकारिक परिसमापक और परिसमापक बनाम वी. एम. देशपांडे, आयकर अधिकारी, कंपनी सर्कल। (बी) बॉम्बे और एक अन्य (3) में सर्वोच्च न्यायालय के अपने लॉर्डशिप के फैसले पर भरोसा किया है, यह तर्क देने के लिए कि धारा 446 (2) के प्रावधान इस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र के साथ नहीं तोड़ेंगे, यदि अन्यथा, इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते।एस. वी. कोंडास्कर के मामले में निर्णय, (ऊपर) नहीं जहां कानून के इस प्रस्ताव को निर्धारित करता है दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने वास्तव में माना कि अधिनियम की धारा 416 की धारा (1) में अभिव्यक्ति "अन्य कानूनी कार्यवाही" और उप-धारा में प्रदान की गई अभिव्यक्ति "कानूनी कार्यवाही-आईएनजी" है। (2) अधिनियम की धारा 446 के. समान समझ होनी चाहिए और दोनों उप-

धाराओं में कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जिसे समापन न्यायालय द्वारा उचित रूप से निपटाया जा सके। यह माना गया कि आयकर अधिनियम एक जटिल संहिता है और यह कर निर्धारण और पुनर्मूल्यांकन के साथ बलात्कार के लिए उपयुक्त है। आयकर का आकलन. केवल इसलिए कि एक निर्धारिती द्वारा देय कर की राशि निर्धारित या मात्राबद्ध होने के बाद, अधिनियम द्वारा शासित परिसमापन में एक कंपनी से इसकी वसूली का मतलब यह नहीं है कि कर की राशि की गणना के लिए मूल्यांकन कार्यवाही को इस तरह से माना जाना चाहिए। कानूनी कार्यवाही अधिनियम की धारा 446 के तहत परिसमापन न्यायालय की अनुमति से ही शुरू या जारी रखी जा सकती है। निर्णय का अनुपात यह है कि आयकर अधिनियम के प्रावधान एक करदाता द्वारा देय आयकर का निर्धारण करने के लिए एक पूर्ण कोड हैं और उक्त अधिनियम के तहत आयकर अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही को कार्यवाही नहीं माना जा सकता है। जैसा कि अधिनियम की धारा 446 की उपधारा, (2) के तहत प्रदान की गई "कानूनी कार्यवाही" में शामिल है। उनके आधिपत्य ने तब देखा जब उन्होंने कहा कि शब्द किसी भी तरह से अदालत में कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे यहाँ

(2) 1946 आर.सी. 16.

(3) ए. आई. आर. 1972 एस.सी. 878.



उसका अधिकार क्षेत्र है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, कंपनी से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय में निहित है। अधिनियम की योजना यह सुझाती है कि अधिनियम की धारा 446 की उप-धारा (2) के प्रावधानों को उच्च न्यायालय को कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने और निपटाने के लिए व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। समापन आदेश पारित कर दिया गया है। इसलिए, यह तर्क देना सही नहीं है कि यह प्रावधान इस न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र से वंचित कर देगा यदि वह चाहे तो यह देखा जा सकता है कि उक्त कार्यवाही को स्थानांतरित करना या शुरू करने की अनुमति देना इस न्यायालय का विवेक है। लेकिन यह कहना कि न्यायालय के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, अधिनियम की धारा 446 के प्रावधानों के खिलाफ होगा, जो कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी मुकदमे या कार्यवाही के संबंध में उच्च न्यायालय में अधिकार क्षेत्र निहित करने वाला एक विशेष प्रावधान है। श्री भागीरथ दास ने आधिकारिक परिसमापक, आर. सी. अल्ब्रोल एंड कंपनी (पी.) लिमिटेड बनाम आर. सी. एबसोल और अन्य (4) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। यह प्राधिकारी उत्तरदाताओं के विद्वान

वकील द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है, लेकिन हम सम्मानपूर्वक उसमें लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। आर. सी. अब्रोल के मामले (सुप्रा) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह देखा गया है कि यदि अधिनियम की धारा 446 (2) के प्रावधानों की इतनी व्यापक रूप से व्याख्या की जानी थी कि आपराधिक कार्यवाही को शामिल किया जा सके, तो उस मामले में धारा 454 के प्रावधान अधिनियम का (5ए) निरर्थक हो जाएगा। हमारे विचार से यह तर्क सही नहीं है। विधानमंडल द्वारा धारा 454 में संशोधन करने और अधिनियम की उपधारा (5ए) लागू करने के उद्देश्य और कारण इस प्रकार हैं: -

> "आधिकारिक परिसमापकों की यह शिकायत रही है कि बार-बार अनुस्मारक और चेतावनियों के बावजूद मामलों का बयान दायर नहीं किया जाता है, और यदि बिल्कुल भी दायर किया जाता है, तो काफी देरी के बाद ही दायर किया जाता है-दंडात्मक प्रावधान शायद ही कभी लागू किया जाता है, जाहिरा तौर पर क्योंकि आधिकारिक परिसमापक द्वारा आपराधिक न्यायालय में शिकायत की जानी होती है, और इसमें देरी शामिल होती है।बंद करने में अधिकांश देरी कंपनी के मामलों के विवरण को समय पर दाखिल

**(197) 47 कैम्प केस 557.**



> नहीं करने के कारण होती है ताकि आधिकारिक परिसमापक आवश्यक कार्रवाई कर सके।अगर कथनदर्ज करना में चूक करने वाले कंपनी के अधिकारियों को दंडित करने की शक्ति है, तो यह उनके काम को सुविधाजनक बनाएगा और कंपनियों को बंद करने में तेजी लाएगा। यदि मामलों के विवरण को दाखिल करने में चूक करने वाले कंपनी के अधिकारियों को दंडित करने की शक्ति साधारण आपराधिक न्यायालयों के बजाय समापन न्यायालय में निहित है। समापन न्यायालय, जो अधिकांश मामलों में उच्च न्यायालय होगा, संबंधित अधिकारियों की डिक्री और चूक की प्रकृति का न्याय करने और जहां आवश्यक हो वहां उचित सजा को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। इस डर से कि समापन न्यायालय किसी भी देरी का तुरंत संज्ञान लेगा और चूक करने वालों के साथ पर्याप्त रूप से व्यवहार करेगा, मामलों के बयान को तुरंत दाखिल करने के लिए बहुत कुछ करेगा, इसलिए अधिनियम की धारा 454 में संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे इस धारा के तहत सजा की शक्ति समाप्त हो जाएगी।

अधिनियम की धारा 454 की उप-धारा (1) से (4) के प्रावधान प्रक्रियात्मक हैं, जिनका पालन न करना उप-धारा (5) के तहत अपराध है। अधिनियम की उप-धारा (5ए) को विधानमंडल द्वारा ऊपर बताए गए कारणों से उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र देने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 446 (2) के प्रावधान सामान्य हैं और कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी मुकदमा या कार्यवाही को स्वीकार करने या निपटाने के लिए अधिकार क्षेत्र के निहित होने से संबंधित हैं। अधिनियम की धारा 454 (5ए) के प्रावधान अधिनियम की धारा 446 की उप- धारा (2) के प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र के अलावा विशेष प्रकृति के हैं, जो सामान्य प्रकृति के हैं। आर. सी. अब्रोल के मामले (ऊपर) में मामले के इस पहलू की अनदेखी की गई है।हालाँकि, उस मामले में यह देखा गया था कि उच्च न्यायालय केवल दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 194 के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है।यह देखा जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में पुरानी संहिता की धारा 194 के प्रावधानों को हटा दिया गया है।पुरानी संहिता की धारा 194 के प्रावधानों के लिए कोई समान प्रावधान नहीं है।यह स्थिति होने के कारण, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में निहित उच्च न्यायाधीशालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग उचित मामलों में न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुरानी संहिता की धारा 194 के प्रावधानों के तहत, यह प्रावधान किया गया था कि उच्च न्यायालय इस मामले पर संज्ञान ले सकता है, लेकिन नई संहिता में उक्त प्रावधानों को हटा दिया गया है, उच्च न्यायालय के समक्ष अपराध का संज्ञान लेने के लिए प्रतिबद्धता कार्यवाही की बाधा को भी हटा दिया गया है।बेशक, यह बिना कहे चला जाता है कि उच्च न्यायाधीशालय न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उचित मामलों में मामले को अपने मूल क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। इसलिए यह अभिनिर्धारित करना सही नहीं है कि उच्च न्यायालय किसी भी मामले में आपराधिक मामलों में मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

281

खोसला फैन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) बनाम रमेश खोसला और अन्य

(बी.एस. ढिल्लन, जे)

6. **श्री भागीरथ दास ने हरीश चंद्र बनाम कवींद्र नारायण सिन्हा और अन्य (5) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ** के फैसले पर भरोसा किया है। इस फैसले से विद्वान वकील

को कोई मदद नहीं मिलेगी। हरीश चंद्र का मामला (सुप्रा) किसी कंपनी के समापन का मामला नहीं था, जिसमें जांच के दौरान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई अपराध किया गया है। मामला किसी भी स्तर पर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं था, पूर्ण पीठ ने पुराने संहिता की धारा 194 (1) के प्रभाव पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मामले को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया गया था, जो कि फ़ाइल के समक्ष लंबित था। दण्डाधिकारी, ग़लतफ़हमी में था. यह तर्क कि उच्च न्यायालय के पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, की पुष्टि नहीं की जा सकती है क्योंकि पुराने कोड की धारा 194 (1) उच्च न्यायालय को प्रतिबद्धता होने पर किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत करती है, यह देखते हुए खारिज कर दिया गया था कि उच्च न्यायालय केवल तभी संज्ञान ले सकता है जब मामला उसे सौंप दिया गया हो, अन्यथा नहीं। जैसा कि पहले ही देखा गया है, पुराने कोड की धारा 194 के प्रावधानों को नए कोड में हटा दिया गया है और इस प्रकार उचित मामलों में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति उचित मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने के लिए उपलब्ध होगी।

**7**. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम के खिलाफ ऐसे अपराध हैं जिनमें सरकारी परिसमापक को अभियोजन की कार्यवाही शुरू करनी होती है।उपयुक्त मामलों में, उच्च न्यायाधीशालय पक्षों के बीच पूर्ण न्यायाधीश करने के लिए उक्त कार्यवाही का मनोरंजन करने या स्थानांतरित करने में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, विशेष रूप से जब कंपनी को समाप्त करने का आदेश दिया गया हो।ऐसे मामलों में, समापन न्यायालय एकमात्र उपयुक्त न्यायालय हो सकता है, जो विवादों को अधिक उचित रूप से निर्धारित कर सकता है।बेशक, यह बिना कहे चला जाता है कि यदि अधिनियम की धारा 446 की उप-धारा (2) के तहत उच्च न्यायालय में अधिकारिता निहित नहीं की गई थी, तो उस मामले में, अधिनियम की धारा 10 के साथ पठित धारा 2 (11) के प्रावधानों को देखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना था कि अधिनियम के तहत सभी अपराधों का मुकदमा मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना था, न कि किसी अन्य न्यायालय द्वारा, लेकिन चूंकि अधिनियम की योजना की पृष्ठभूमि में कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी मुकदमे या कार्यवाही को स्वीकार करने और निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र के साथ एक विशेष प्रावधान अधिनियमित किया गया है।

**8.** नियमों के नियम 9 के प्रावधानों का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो ऐसे निर्देश देने या ऐसे आदेश पारित

करने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करता हो जो न्याय के अंत के लिए आवश्यक हो सकते हैं या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। यह नियम उचित आदेश पारित करने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का भी कार्य करता है जो न्याय के अंत के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकता है।

9. इसलिए, हम यह मानने के इच्छुक हैं कि उच्च न्यायालय कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ उचित मामलों में आपराधिक कार्यवाही सहित मुकदमों और कार्यवाही में अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है।इस पीठ को भेजे गए कानून के प्रश्न का तदनुसार उत्तर दिया जाता है और मामले को अब उचित आदेशों के लिए एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है।

एच.एस.बी.

---

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator:

Pooja Rani